भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2470

दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सूरत में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

2470. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) की शुरुआत से लेकर अब तक सूरत जिले के लिए इस मिशन के अंतर्गत आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिलों में एसवीएम-जी के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और अब तक पूर्ण किए गए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयो (आईएचएचएल), सामुदायिक शौचालयों और ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की संख्या कितनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सूरत संसदीय क्षेत्र में कुल कितने लाभार्थियों को एसबीएम-जी के अंतर्गत स्वच्छता सुविधाओं का लाभ प्राप्त हुआ है:

(घ) पूर्ण खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस का दर्जा प्राप्त करने के लिए अनुमानित समय-सीमा क्या है, और इसके कार्यान्वयन के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त जिलों में मिशन के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क): स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (ग्रामीण) के अंतर्गत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं। वर्ष 2014-15 से एसबीएम (जी) के अंतर्गत गुजरात राज्य को आबंटित एवं जारी की गई केन्द्र की हिस्सेदारी निम्नानुसार है:

रुपए करोड़ में

वित्त वर्ष	आबंटन	जारी
2014-15	312.13	156.07
2015-16	478.22	478.22
2016-17	1302.46	751.23
2017-18	466.04	466.04

2018-19	465.83	192.92
2019-20	314.83	238.45
2020-21	499.20	312.57
2021-22	342.73	171.37
2022-23	284.68	53.62
2023-24	109.61	109.61
2024-25	200.00	150.00
कुल	**4775.73**	**3080.10**

(ख): गुजरात के सूरत जिले में एसबीएम (जी) के तहत 1,11,966 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और 261 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 641 और 652 गांवों को क्रमश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और ग्रे वाटर प्रबंधन (जीडब्लूएम) में शामिल किया गया है।

(ग): एसबीएम (जी) के तहत सूरत जिले में 1,11,966 लाभार्थियों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) प्रदान किए गए हैं

(घ): वर्ष 2025-26 तक सूरत जिले के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस (मॉडल) घोषित किए जाने की संभावना है। निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:-

- एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियों और कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण
- विभिन्न इंटरवेश्नों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान
- संसाधनों के तालमेल के लिए विभिन्न विभागों/संगठनों जैसे ग्रामीण स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज आदि के बीच समन्वय।

(ङ): पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा एक तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से "स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी)-2023-24" का आयोजन किया गया था, जिसने मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम), जैवक्षरणीय और गैर-जैवक्षरणीय अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रे वाटर मैनेजमेंट (जीडब्ल्यूएम) सहित घरेलू स्वच्छता मापदंडों का आकलन किया था। सूरत जिले से संबंधित एसएसजी 2023-24 के मुख्य निष्कर्ष हैं:

- सर्वेक्षण में शामिल 100% घरों में शौचालय की सुविधा है
- 15.6% परिवारों ने अपने कचरे को जैवक्षरणीय (कार्बनिक) और गैर-जैवक्षरणीय (अकार्बनिक) श्रेणियों में अलग करने की सूचना दी
- 99% परिवारों ने जैवक्षरणीय (जैविक) अपशिष्ट के निपटान के लिए सीमित व्यवस्था होने की सूचना दी

- 97.4% घरों में ग्रेवाटर के निपटान के लिए सीमित व्यवस्था थी
- 42.0% गांवों में ठोस कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए समर्पित अथवा साझा वाहन थे
- 19% गांवों में भंडारण और पृथक्करण शेड थे
- 87.5% गांवों में प्लास्टिक कचरे के लिए फॉरवर्ड लिंकेज पाया गया
- 90.0% सार्वजनिक स्थानों पर परिसरों में अल्प मात्रा में पानी का जमाव पाया गया
- सर्वेक्षण में शामिल 99% सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय की सुविधा है

एसएसजी 2023-24 के निष्कर्षों को राज्य सरकार के साथ साझा किया गया था और राज्य से अनुरोध किया गया था कि यथा आवश्यकता, उपचारात्मक कार्रवाई करें।

*****